

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 10 अ-82/17-18/2952

बैतूल दिनांक 23-03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	कोयलारी	17.118	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	कोयलारी लघु जलाशय योजना नहर रहित

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	निर्मला पति वासुदेव जाति कुन्बी सा बासनेरखुर्द	175/7	1.464	1.464
2	दशरथ, राजू संजू व० नारायण, संगीता ममता पिता नारायण जाति कुन्बी सा० विजयग्राम	175/1	4.859	0.652
3	दयावति पिता चिरोंजीलाल जाति कलार सा० देह	171	3.792	0.528
4	श्रीराम व० बाजीराव जाति कुन्बी सा० बासनेरखुर्द	172/3	1.922	1.600
		173/2	3.540	0.775
		173/7	0.605	0.605
5	मारोती पुत्र बाजीराव जाति कुन्बी सा० देह	173/6	4.550	1.290
		173/9	0.600	0.390
6	गोपाल व० बाजीराव जाति कुन्बी सा० देह	173/3	0.600	0.401
7	माधोराव व. बाजीराव जाति कुन्बी सा० देह	172/8	0.465	0.113
		173/4	0.600	0.580
		173/5	0.300	0.009
		173/8	0.600	0.490
8	सोनी उर्फ सुशीला जौजे काल्यासिंह जाति कौरकू सा० देह	179	12.420	2.665
		180		
		181		

9	मारोती व० श्यामराव, मंगरू बेवा श्यामराव, मंगरया बेवा गेंदराव संकू बेवा चन्दू, दशरथ व० चन्दू, शान्ता पिता चन्दू, बाबू, सूका, चिन्ध्या व० गेंदराम जाति कोरकू सा० देह	177/2	4.047	3.557
10	मंगराय बेवा गेंदराव, सकू बेवा चन्दू, दशरथ पाति चन्दू, शान्ता पिता चन्दू बाबू, सूका, चिन्ध्या व० गेंदाराव जाति कोरकू सा० देह	175/5	1.821	0.947
11	पार्वती जौजे श्यामलाल जाति कोरकू सा० देह	175/6	0.488	0.387
12	शंकर भूता, कौसू, कौशलया पिता भोम्या, मलाय बेवा काशीराम, कैलाश कला पिता काशीराम जाति कोरकू सा० देह	175/3	0.488	0.383
		175/4	1.963	0.282
योग			45.124	17.118

1- चूंकि कोयलारी लघु जलाशय नहर रहित, हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,




(शशांक मिश्र)


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



पृ0क0 10 अ-82/वर्ष 17-18 / 2952

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार भैसदेही की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कोयलारी तहसील भैसदेही जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग